UPBJ010071272022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– खुशतर दानिश, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP–1721

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0– 2868/2022
सरकार बनाम निशात
धाराः 363, 366
भारतीय दण्ड संहिता
थाना हल्दौऱ, जिला बिजनौर।
एस0टी0 नं0–509/2002
अ0सं0–491/2000

21–10–2022–

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्ता निशात पुत्री शारिक शाह पत्नी कुन्दन निवासी ग्राम पावटी हाल निवासी ग्राम जैनुलआबदीनपुर हरदो ग्राम थाना हल्दौर जिला बिजनौर की ओर से मु0अ0सं0 491/2000 अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता थाना हल्दौर, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

मैंने अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा केस–डायरी का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी इबले हसन ने थाना हल्दौर जिला बिजनौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट इन कथनों के साथ दर्ज करायी कि वह ग्राम पावटी थाना हल्दौर का रहने वाला है। तारीख 05–11–2000 की सुबह करीब 5 बजे वह और परिवार वाले जगे तो उसे उसकी लड़की पीड़िता जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है दिखायी नहीं दी। उसने सोचा टटटी पेशाब गयी होगी और वह काफी देर बाद भी वापस नहीं आयी तो उसे और परिवार वालों को शक हुआ, जिस पर उन्होंने अपनी लड़की पीड़िता को तलाश करना शुरू किया। तलाश के दौरान उसे उसके ही गांव के वसीर अहमद पुत्र कलवा तथा सत्तार अहमद पुत्र बुन्दु ने बताया था कि तुमहारी लड़की पीड़िता को उन्होंने गांव के राशिद शाह पुत्र शारिक शाह के साथ गांव की तरफ से आते हुये देखा था और शाहिद पीड़िता को पीपल के पास खड़ी मारूति में बैठाकर सड़क की तरफ ले गया है। इसके बाद उसने और उसके घर वाले ने राशिद और पीड़िता को अब तक इधर उधर और रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया कहीं पता नहीं चला। राशिद उसकी लड़की को बहला फुसला कर शादी के लिये भगाकर ले गया है। उक्त के आधार पर थाना हल्दौर जिला बिजनौर पर मु0अ0सं0

491/2000 धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में रंजिश की बिनाह पर फर्जी व गलत वाकयात दर्शाकर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक माह से अधिक की देरी है और विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थिनी उपरोक्त वाद में नामजद अभियुक्ता नहीं है उसका कथित घटना में कोई रोल नहीं है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही उसके विरूद्ध कभी कोई मुकदमा चला है। घटना के समय कथित अपहृता की आयु 22 वर्ष थी और वह बालिग थी वह अपनी इच्छा से अपने माता पिता का घर छोड़कर गयी थी और उसने अपनी इच्छा से राशिद के साथ दि0 31–01–2001 को विशेष विवाह अधिकारी रूद्रपुर जिला उद्यम सिंह नगर उत्तराखण्ड के यहां शादी की थी। कथित अपहृता ने विशेष विवाह अधिकारी के यहां से शादी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात दि0 09–02–2001 को राशिद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार निकाह किया और उसके साथ बहैसियत पत्नी रही। कथित अपहृता को कोई बहला फुसलाकर नहीं ले गया। कथित अपहृता ने अपने बयान में रंजिश की बिनाह पर प्रार्थिनी का झूठा नाम लिया है जिस पर न्यायालय ने प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में तलब किया है। वाद उपरोक्त में नामजद अभियुक्त राशिद की जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से दि0 25–04–2001 को स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थिनी दि0 03–10–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थिनी के छोटे–छोटे बच्चे है उसका सबसे छोटा बच्चा करीब डेढ वर्ष का है जो उसका दूध पीता है और उसके बिना उसका जीवन खतरे में है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त आधार पर अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने पर बल दिया गया है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले जाया गया है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध अजमानतीय तथा गम्भीर प्रकृति का है। अतः उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

अभियुक्ता निशात को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात विवेचना हुई, जिसके पश्चात विवेचक ने केवल अभियुक्त राशिद के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता प्रेषित किया था। तत्पश्चात् अभियुक्ता निशात को साक्षी पीड़िता के बयान दौरान विचारण लेखबद्ध होने के पश्चात दं0प्र0सं0 की धारा 319 के अन्तर्गत तलब किया गया है। प्रस्तुत मामले में मुख्य अभियुक्त राशिद की जमानत पूर्व में माननीय

सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दि0 25–04–2001 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्ता महिला है। अभियुक्ता की ओर से दिये गये उक्त समस्त तर्को के दृष्टिगत तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वाद के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुये अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–आदेश–

प्रार्थिनी/अभियुक्ता निशात पुत्री शारिक शाह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता को मुकदमा अपराध संख्या 491/2000 अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दण्ड संहिता थाना हल्दौर, जिला बिजनौर के प्रकरण में अभियुक्ता द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– अभियुक्ता अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगी।

2– अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नहीं करेगी।

3– न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।

4– अभियुक्ता न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगी और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगी।

दि0–21–10–2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।

JO CODE UP-1721